न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–54/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

मदनलाल पुत्र चेतन राम जाति नायक साकिन चक 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाश्वकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 20.03.2020**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पे ा किया गया है। जिसकी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी भूधारक है तथा इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन कर रहा है तथा अपने दायित्वों के अधीन उक्त वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी प्रतिवादी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोश्वित कर कब्जा वादी सरकार को दिलाया जावे। प्रतिवादी मदनलाल पुत्र चेतनराज जाति नायक सा0 चक 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर का खाता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (बी) के मु0नं0 142/52 के किला नं0 1 ता 19 व 22 कुल 19.11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज है और प्रतिवादी भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना संपरिवर्तन कराये गैर कानूनी ढ़ंग से किला नं0 1 ता 3 व 9 ता 10 में अवैध जिप्सम खनन किया है। रकबा पीएनबी शाखा खाजूवाला रहन है। अतः उक्त भूमि को कृश्वि से अकृश्वि कार्य किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। इसलिये खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर कब्जा बहक सरकार को दिलाया जावे ।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन/नोटिस तलब करने पर प्रतिवादी उपस्थित आये और दिनांक 03.03.2020 जवाब पे ा किया जो भा.मि. किया । रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला मय भापथपत्र पटवारी ली गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 2 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0नं0 142/52 के किला नं0 1 ता 19, 22 की 19.11 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसके अन्दर प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से गैर कृश्ि कार्य नहीं किया है। उक्त सम्पूर्ण रकबा में चना, तारामीरा की फसल का त कर रखी है। प्रतिवादी के उक्त रकबा में जुलाई 2017 में कृश्ि सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण करवाया था। जिसमें खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार का कोई जिप्सम या जिप्सम का कण नहीं निकला था और ना ही प्रार्थी ने किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य किया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 तथा प्रस्तुत भापथपत्र दिः 03.03.2020 में वर्णित कथनों अनुसार वाद पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। इसपर प्रतिवादी ने बहस में जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भापथपत्र से पूर्णतः विरोधाभासी होने के कारण व उक्त भूमि का अकृश्ि कार्य में उपयोग नहीं करने के कारण उक्त दावा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पे ा दस्तावेज, जवाबदावा मय भापथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निश्कर्श पर पहॅुचा है कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.09.2017 व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 परस्पर विरोधाभासी है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का 26.02.2020 अनुसार ''उपरोक्त रकबे में मौके पर किला नं0 1 में ढ़ाणी बनी हुई है और किला नं0 9 में सिंचाई हेतु डिग्गी बनी हुई है। भोश रकबे पर तारामीरा,चना व गेंहूॅ की फस्ल बोई हुई हैं''। इस फर्द मौका रिपोर्ट की पुष्टि वादी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत साक्षी देवीलाल पुत्र श्री श्रवणकुमार जाति मेघवाल निवासी खाजूवाला पदस्थ पटवारी प.म. कुण्डल की ओर से प्रस्तुत भापथ पत्र द्वारा की गयी है।

अतः मौका फर्द रिपोर्ट एवं वादी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किये गये भापथपत्र में अंकित कथनों से वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक (कॉज ऑफ एक ान) प्राप्त होने में भी संशय उत्पन्न होता है। वहीं मौका फर्द रिपोर्ट व साक्ष्य वादी हेतु प्रस्तुत भापथ पत्र प्रतिवादी के जवाबदावा के प्रमुख कथन अवैध खनन नहीं होने की पुष्टि करता है।

अतः वादी द्वारा वाद की पुष्टि हेतु मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी सं ाय के कारण प्रस्तुत वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है उभय पक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करे। पत्रावली फै ाल ुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)